

2018/00195

फर्द अहकाम

रामकृष्ण बनाम जगदीश

यालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

शद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 84/18

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पत्नी को सुनते दे पञ्चात 41000 टाटा पञ्चात 41000 पर अज्ञात टाटा 15200 निर्माण किया जाकर न्यायालय टाटा 20 में जारी निर्माण व डिपॉजिट में संशोधन किया जाता है कि खतासं: 81 के ख. नं. 150/137 रकम 2.2129 हेक्टे. 151/137 रकम 0.3161 हेक्टे, 153/46 रकम 0.3161 हेक्टे. 157/72 रकम 0.3887 हेक्टे, 57 रकम 0.5058 हेक्टे, 59 रकम 0.4805 हेक्टे. कुल क्षेत्र 6 कुल रकम 4.1601 हेक्टेपर की 2 कि खतेदार सुकेश, राजेश कि. रामजीबाल हिस्सा 4/70, आशा मीरा पुत्रिया रामजीबाल हिस्सा 4/70 केशवा पति रामजीबाल हिस्सा 4/70 जाति कांछण हा. डेड, जगदीश पुत्र लक्ष्मीबापण हिस्सा 4/70 जाति ह. का. हा. डेड, केदार पण्डित पुत्र रामानन्द हिस्सा 3/14 जाति ह. का. हा. डेड, राधेष्वाण पुत्र रामकुमार हिस्सा 4/14 जाति ह. का. हा. डेड, आशी देवी पति रामकुमार हिस्सा 4/14 जाति ह. कांछण हा. डेड के हिस्से में रहेगी तथा खता संख्या 80 के ख. नं. 155/69 रकम 0.3035 हेक्टे की 2 कि खतेदार आशी पति रामकुमार जाति ह. कांछण हा. डेड हिस्सा 4/70 के हिस्से में रहेगी तथा खता सं</p>	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

2018/00195

फर्द अहकाम

राजकरा बनाम जगदीश

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 84/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>79 के ख.नं. 152/137 रकबा 0.4426 हेमरे, 154/46 रकबा 0.0633 हेमरे 156/69 रकबा 0.3161 हेमरे, 158/72 रकबा 0.0633 हेमरे कुल किरा 4 कुल रकबा 0.8853 हेमरे की प्रति खातेदाल रमेश कुमार, धरम मल पिता रामकाण्डा हिमा पुत्र जगदीश मल. डेड के हिस्से में रखा। अतः उक्त राजस्व/किरा में प्रत्येक दरमाद का वसूली राजस्व रिमाईं दुबल. कबले हेतु वसूली कर्मी को आदेश दिया जाता है। संबंधित डिप्टी पंच को भी। निर्णय क रिकॉर्ड में पालना हेतु तस्वीर जारी हो। फावली फोर्स द्वारा लोक नगर से करा हो।</p> <p style="text-align: right;">(26)</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर बस्ती जिला अजमेर</p>

संशोधित डिक्री मुकदमा इकादाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाक्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रामकरण पुत्र मोती जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।		1. जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर। 2. मुकेश पुत्र स्व. रामजीलाल 3. राजेश पुत्र स्व. रामजीलाल 4. कौशल्या पत्नि स्व. रामजीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर। 5. मीरा पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नि ओमप्रकाश 6. आशा पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नि सूरजान जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम पाटन तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर। 7. राधेश्याम पुत्र रामकुंवार 8. प्रभाति पत्नि स्व. रामकुंवार 9. केदार प्रसाद दत्तक पुत्र रामानन्द समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी हाल तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर। 11. उपपंजीयक बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।

दावा वाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा न0 84/2018 एवं विविध प्रा. पत्र 20/2022

निर्णय दिनांक 27.09.2022



वादी का वाद संशोधित डिक्री किया जाता है कि खाता संख्या 81
के खसरा नं. 150/137 रकबा 2.2129 हेक्टेयर, 151/137 रकबा 0.3161
हेक्टेयर, 153/46 रकबा 0.3161 हेक्टेयर, 157/72 रकबा 0.3287 हेक्टेयर,


सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

57 रकबा 0.5058 हेक्टेयर, 59 रकबा 0.4805 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.1601 हेक्टेयर कि भूमि खातेदार मुकेश राजेश पि रामजीलाल हिस्सा 2/70 आशा मीरा पुत्रिया रामजीलाल हिस्सा 2/70 कौशल्या पत्नि रामजीलाल हिस्सा 1/70 जाति ब्राह्मण सा. देह जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 4/7 जाति हरि. ब्रा. सा. देह केदारप्रसाद दत्तक पुत्र रामानन्द हिस्सा 3/14 जाति हरि. ब्रा. सा. देह राधेश्याम पुत्र रामकुंवार हिस्सा 1/14 जाति हरि. ब्रा. सा. देह प्रभाती देवी पत्नि रामकुंवार हिस्सा 1/14 जाति हरि. ब्रा. सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा खाता संख्या 80 के खसरा नं. 155/69 रकबा 0.3035 हेक्टेयर की भूमि खातेदार प्रभाती पत्नि रामबल्लभ जाति हरि. ब्रा. सा. देह हिस्सा पूर्ण के हिस्से में रहेगी तथा खाता संख्या 79 के खसरा नं. 152/137 रकबा 0.4426 हेक्टेयर, 154/46 रकबा 0.0633 हेक्टेयर, 156/69 रकबा 0.3161 हेक्टेयर, 158/72 रकबा 0.0633 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.8853 हेक्टेयर की भूमि खातेदार रमेशकुमार सूरजमल पिता रामकरण हिस्सा पूर्ण जाति हरि. ब्रा. सा. देह के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है। कुरेजात व नक्शे बाद अनुमोदन मेजे जावे। _____निजी_____मुबलिक_____बाबत_____खर्चा. _____इस मुकदमें का मय सूद वगैरह_____फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक_____को अदा करें।


बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.09.2022 को जारी किया गया।



दस्तख्त 
ओहदा 

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलक्टर
जयपुर जिला जयपुर